झारखण्ड सरकार

**परिवहन विभाग**

एफ.एफ.पी.भवन, धुर्वा, राँची

( Phone No: 0651-2401706, e-mail: transport.jhr@gmail.com )

पत्रांकः—परि०आ०—192/2016 2229 / राँची, दिनांकः— 06/10/2020

प्रेषक,

के० रवि कुमार, भा०प्र०से०
सचिव,
परिवहन विभाग।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी,
झारखण्ड।

**विषयः— COVID-19 महामारी एवं संक्रमण से उत्पन्न स्थिति में Learning License तथा Driving License निर्गत किये जाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त वर्णित विषय के संबंध में कहना है कि Covid-19 महामारी तथा संक्रमण फैलने के कारणों के मद्देनजर राज्य में Learning License एवं Driving License बनाने की प्रक्रिया स्थगित है। इस क्रम में Corona संक्रमण के बदले हुए दौर तथा जीवन यापन की आवश्यकताओं के मद्देनजर गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा तदनुसार राज्य सरकार के द्वारा Unlock के तहत विभिन्न क्षेत्रों में छूट प्रदान की गयी है। ये क्रियाकलाप Containment Zone के बाहर चालू किये गये हैं। राज्य में वाहनों के परिचालन आम जीवन के जीवनयापन संबंधी जरूरतों, आम लोगों की परेशानियों तथा राजस्व में होने वाले क्षति को दृष्टिपथ पर रखते हुए राज्य में Learning License तथा Driving License निर्गत करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

इस क्रम में Learning License तथा Driving License निर्गत करने में निम्न बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायः—

1. Corona के संक्रमण के प्रमुख कारणों में लोगों से संपर्क एवं दो लोगों के बीच आवश्यक Physical distancing का न होना एक महत्वपूर्ण कारक है। इसलिये Test में Physical distancing (दो गज की दूरी) सुनिश्चित किया जाय।
2. Test सम्पादित किये जाने वाले स्थान की साफ—सफाई एवं संबद्ध व्यक्तियों के हाथों को लगातार Senitize कराना सुनिश्चित किया जाय।
3. उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों एवं कार्यालय कर्मियों के बीच न्यूनतम सम्पर्क, Physical distance तथा लगातार Senitization सुनिश्चित किया जाय।
4. Test लेने के स्थान के आकार के अनुसार प्रतिदिन 100—200 तक की Slot Booking ही की जाय।
5. सभी जिले अपने यहाँ प्राप्त होने वाले आवेदनों एवं Test लिये जाने वाले स्थान तथा जिला परिवहन कार्यालय द्वारा Covid-19 के दिशा—निर्देशों के अनुपालन कराने की क्षमता के अनुसार Slot की संख्या निर्धारित करें।
6. जिला परिवहन पदाधिकारी उपायुक्त से समन्वय स्थापित कर निर्धारित Slot की संख्या का निर्धारण करते हुए राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी को सूचना दे एवं उसके अनुरूप SARTHI में आवश्यक परिवर्तन करना सुनिश्चित करें।

निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त प्रक्रिया एवं निर्देशों का अनुपालन करते हुए दिनांक–16.10.2020 से राज्य में Learning License तथा Driving License निर्गत किये जाने की प्रक्रिया का अनुपालन करना सुनिश्चत करें।

विश्वासभाजन

6/10/2020

(के० रवि कुमार)
सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांकः–परि०आ०–192/2016 2229 / राँची, दिनांकः– 06/10/2020

**प्रतिलिपिः**–सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी पुलिस अधीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/10/2020

सचिव
परिवहन विभाग।